

15/7/24

पत्रावली पेस हुई। वकीलों द्वारा कानून
संख्या / P.O. सा. संख्या १०० में दर्ज
होने से जनसहज करीब होती है यह सब
आदेश की पाठ्यता में निम्नंक... २९/७/२४
को पेस हो।

उपखण्ड अधिकारी

२९/७/२४

पत्रावली पेस हुई। वकील उन्नापक्ष डिपण
जारीत फर दफा-५ एवं फूल जारि फर पर
उन्नापक्ष वकील बध्म हुनी। चार्ले फोर्डम
दिनांक: ३०-७-२०२४ को पेस हो।

२५६

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

३०/७/२४

पत्रावली पेस हुई। वकील उन्नापक्ष डिपण
उन्नापक्ष वकील बध्म पर मनन किया। पत्रावली
१०) एक्सेलोकन किया गया। उन्नापक्ष वकील बध्म
पर मनन करने एवं पत्रावली के एक्सेलोकन के
आधार पर एक्सीलान्ट एक्सील स्वीकार किया गया
छिन्नत खरीत नहीं होता है। फर: एक्सीलान्ट एक्सील
प्राप्त नहीं होने से खरीद की जाती है। विस्तृत
जिबन प्रश्न से लिखा जाकर एक्सील पत्रावली
किया गया। पत्रावली निम्नंक... देकर का
तकनीक दायित्व दफ्तर है।

२५६

३०/७/२४
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या:- 01/2023

प्रकरण दायर दिनांक:- 18.08.2023

प्रकरण निर्णय दिनांक:- 30.07.2024

उनवान

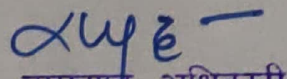
1. हरिमोहन पुत्र हरसहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरिपुरा तह. बसवा हाल तह. बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. नारायणी पत्नि बाल्या
 2. धर्मसिंह पुत्र बाल्या
 3. ज्ञानसिंह पुत्र बाल्या
- जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरिपुरा तह. बसवा जिला दौसा
4. ग्राम पंचायत आभानेरी हाल ग्राम पंचायत भाण्डेडा पंचायत समिति बांदीकुई जरिए सरपंच ग्राम पंचायत भाण्डेडा पंचायत समिति बांदीकुई

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक: 14.04.1966

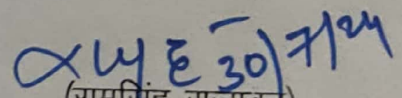
अपीलान्ट द्वारा अपील विरुद्ध नामान्तकरण सं. 32 दिनांक: 14.04.1966 इस आशय का पेश किया कि अपीलांट के पिता हरसहाय पुत्र लाला की खातेदारी की भूमि स्थित ग्राम हरिपुरा तहसील बसवा की बाबत नामान्तकरण सं. 32 दिनांक: 14.04.1966 की तस्दीक की जानकारी तारीख दिनांक: 07.02.2023 को होने पर दिनांक: 24.02.2023 को नकल मिलने पर बेजा नामान्तकरण आज्ञा के विरुद्ध जानकारी से अंदर मियाद अपील पेश किया जाना आवश्यक आया है। ग्राम पंचायत आभानेरी की आज्ञा दिनांक: 14.04.1966 विरुद्ध विधि विधान न्याय प्रक्रिया होने की गरज से चलने योग्य नहीं है जबिले खारिज है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट के पिता को सुने बिना ही नामान्तकरण आज्ञा प्राकृतिक न्याय व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध नामान्तकरण तस्दीक फरमाया गया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। बाल्या व बाल्या के वारिसान का उक्त आराजी खसरा नंबर 73 रकबा 3 बीघा 6 बीस्वा एवं खसरा नंबर 78 रकबा 2 बीघा 16 बीस्वा से कोई लेना देना नहीं रहा है। आराजी की खातेदारी हरसहाय पुत्र लाला, रामधन, श्योजी, मूल्या पिसरान मांग्या साकिन देह के नाम दर्ज रही है। रामधन ने श्योजी मूल्या द्वारा पेशकर्ता दावा इस्तकरार हक व पाबंदी बाबत खातेदारी प्रार्थी अपीलांट के पिता व बाल्या के विरुद्ध पेश किया गया है जिसमें हरसहाय खातेदार के विरुद्ध कोई अनुतोष भी नहीं चाहा गया है। हरसहाय को सुने बिना इकतरफा कार्यवाही के बाद बिना एकतरफा सूखी के दावा बरूये राजीनामा डिकी करना बताया है, जबकि अपीलांट का पिता कभी न्यायालय में या ही नहीं साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा अपने दावे में कोई अनुतोष हरसहाय के विरुद्ध चाहा गया ऐसी सूरत में राजीनामा व डिकी फर्जकारी कर बनाई गई है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है।


उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

आराजी खसरा नं. 159 से 163 से बाल्या का कोई लेना देना नहीं रहा है तो फिर भी बेजा नामान्तकरण के आधार पर नामान्तकरण आज्ञा ग्राम पंचायत द्वारा जारी फरमाई गई है जो चलने योग्य नहीं है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण सं. 32 दिनांक: 14.04.1966 ग्राम पंचायत आभानेरी को खारिज फरमाने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोंडेन्ट्स जर्गे नोटिस विधिवत की गई। रेस्पोंडेन्ट्स सं. 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह कुशवाहा ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोंडेन्ट्स सं. 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर रेस्पोंडेन्ट्स सं. 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोंडेन्ट्स सं. 1 लगायत 3 की ओर जवाब अपील/लिखित बहस एवं प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम जवाब प्रार्थना पत्र/लिखित बहस पेश की गई। प्रार्थना पत्र दफा 05 एवं मूल प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्त ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। रेस्पोंडेन्ट वकील द्वारा लिखित बहस पेश की गई हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 32 दिनांक: 14.04.1966 ग्राम पंचायत द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बाँदीकुई के निर्णय दिनांक: 02.08.1965 की पालना में दर्ज किया जाना प्रकट है। अपीलान्त के पिता तथा स्वयं अपीलान्त के द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बाँदीकुई के उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं करने से न्यायालय का उक्त निर्णय दिनांक: 02.08.1965 अंतिम हो जाता है। अतः अपीलान्त द्वारा नामान्तकरण सं. 32 दिनांक: 14.04.1966 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील विधि संगत प्रतीत नहीं होती है। अपीलान्त को उक्त नामान्तकरण की इतनी लम्बी समयावधि तक जानकारी नहीं होना भी आधारहीन प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत आभानेरी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर बाँदीकुई के निर्णय की पालना में उक्त नामान्तकरण दर्ज किया गया है। जो विधि संगत प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर अपील अपीलान्त पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।


(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बाँदीकुई
उपखण्ड अधिकारी
बाँदीकुई